



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2019/ वैशाख 3, 1941

No. 267]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2019/ VAISAKHA 3, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2019

सं. 20/2019-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 321(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 23 के उपनियम (1) के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया सभी विवरणियां उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह भी कि जहां रजिस्ट्रीकरण भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किया गया है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित सभी विवरणियां रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।”

3. उक्त नियमों के नियम 62 में,—

(क) पार्श्वशीर्ष में शब्दों “समिश्र प्रदायकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति” के स्थान पर “विवरण और विवरणी को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप नियम (1), --

(i) “धारा 10 के अधीन कर का संदाय” शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाले तथा “**प्ररूप जीएसटीआर-4**” अक्षरों और अंकों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189 (अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-केंद्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला-

(i) किसी तिमाही या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक **प्ररूप जीएसटी सीएमटी-08** में स्व-निर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण इलैक्ट्रॉनिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आगामी अप्रैल माह के तीसवें दिन तक **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विवरणी इलैक्ट्रॉनिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा”;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (2) में “विवरणी प्रस्तुत” से शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “अन्य रकम”, शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय कर या व्याज”

(घ) उपनियम (4) में, --

(i) शब्दों और अंकों “धारा 10 के अधीन संदाय करने का विकल्प लिया है” के पश्चात् “या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189 (अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-केंद्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त किया है” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, -

(अ) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं;

(आ) शब्दों “समिश्र स्कीम का विकल्प लेने” के पश्चात् “या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189 (अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-केंद्रीय कर(दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर के संदाय का विकल्प लेने” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ड.) उपनियम (5) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों “धारा 9 के अधीन कर के संदाय के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विकल्प लेने से पूर्व अवधि से उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के सितंबर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरण प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख या पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख, जो भी पूर्वतर हो” के स्थान पर “ऐसी अवधि जिसके लिए, तिमाही जिसमें प्रत्याहरण की तारीख आती है, के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक समिश्च स्कीम के अधीन कर का संदाय किया है, के लिए प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसा प्रत्याहरण आता है की समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करेगा” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(च) उपनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-केंद्रीय कर(दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करना बंद कर दिया है जहां अपेक्षित हो, ऐसी अवधि के लिए तिमाही जिसमें परिवर्ति तारीख आती है से उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक उक्त अधिसूचना के अधीन लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय किया है प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसी परिवर्ति होती है कि समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करेगा” ।

4. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08

(नियम 62 देखें)

स्व:निर्धारित कर के संदाय के लिए विवरण

वित्तीय वर्ष				
तिमाही				

1.	जीएसटीआईएन																
2.	(क)	विधिक नाम	<स्वत:>														
	(ख)	व्यापार नाम	<स्वत:>														
	(ग)	एआरएन	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)														
	(घ)	फाइल करने की तारीख	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)														

3. स्व:निर्धारित दायित्व का सारांश

(कुल अग्रिम, जमा और विकलन टिप्पण और संशोधन आदि के कारण कोई अन्य समायोजन)

(सभी सारणियों में रुपयों में रकम)

क्र. सं.	विवरण	मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7
1.	जावक पूर्ति (छूट प्राप्त पूर्ति को सम्मिलित करते हुए)					
2.	आवक पूर्ति सेवाओं के आयात को सम्मिलित करते हुए आरक्षित भार को आकर्षित करते हुए आवक पूर्ति					
3.	संदेय कर (1+2)					
4.	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5.	संदेय कर और ब्याज					

4. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर**स्थान :**

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :

- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन या अधिसूचना संख्या 02/2019-केंद्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 (सा.का.नि. 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019) का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला करदाता, सम्यक तारीख तक तिमाही आधार पर कर का संदाय करेगा।
- अग्रिम, जमा/विकलन टिप्पण या सुधार के लेखे समायोजन दायित्व के विरुद्ध रिपोर्ट की जाएगी।
- नकारात्मक मूल्य की ऐसे रिपोर्ट की जाएगी कि ऐसा मूल्य समायोजन के पश्चात् आया है।
- यदि कुल संदेय कर नकारात्मक हो गया है, तब उसे अगली कर अवधि के लिए, उस अवधि में उसका उपयोग करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।
- यदि संदाय सम्यक तारीख के पश्चात् किया जाता है तो ब्याज उद्बहणीय होगा।
- 'शून्य' वरण दाखिल किया जाएगा यदि तिमाही के दौरान कोई कर देयता बकाया नहीं है

5. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के अनुदेश सं. 16 के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“17. करदाता जो यथासंशोधित अधिसूचना सं. 2/2019-केंद्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करना चाहते हैं वे इस प्ररूप के क्रम सं. 5 और 6.1 (iii) पर ऐसा विकल्प उपदर्शित करेंगे।”

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि.संख्यांक 249(अ), तारीख 29 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 16/2019-केंद्रीय कर, तारीख 29 मार्च, 2019 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2019

No. 20/2019-Central Tax

G.S.R. 321(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 23, in sub-rule (1), after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided further that all returns due for the period from the date of the order of cancellation of registration till the date of the order of revocation of cancellation of registration shall be furnished by the said person within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration:

Provided also that where the registration has been cancelled with retrospective effect, the registered person shall furnish all returns relating to period from the effective date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation of registration within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration.”.

3. In the said rules, in rule 62,—

a) in the marginal heading, for the words “Form and manner of submission of quarterly return by the composition supplier”, the words “Form and manner of submission of statement and return” shall be substituted;

b) in sub-rule (1), -

(i) for the portion beginning with the words and figures “paying tax under section 10” and ending with letters and figures “FORM GSTR-4”, the following shall be substituted, namely:-

- “paying tax under section 10 or paying tax by availing the benefit of notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 02/2019–Central Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.189 (E), dated the 7th March, 2019 shall-
- (i) furnish a statement, every quarter or, as the case may be, part thereof, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08**, till the 18th day of the month succeeding such quarter; and
- (ii) furnish a return for every financial year or, as the case may be, part thereof in **FORM GSTR-4**, till the thirtieth day of April following the end of such financial year;”;
- (ii) the proviso shall be omitted;
- c) in sub-rule (2), for the portion beginning with the words “return under” and ending with the words “other amount”, the following shall be substituted, namely:-
- “statement under sub-rule (1) shall discharge his liability towards tax or interest”;
- d) in sub-rule (4),-
- (i) after the words and figures “opted to pay tax under section 10” the words, letters, figures and brackets “or by availing the benefit of notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 02/2019–Central Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.189 (E), dated the 7th March, 2019” shall be inserted;
- (ii) in the Explanation,-
- (A) after the words “not be eligible to avail”, the word “of” shall be omitted;
- (B) after the words “opting for the composition scheme”, the words, letters, figures and brackets “or opting for paying tax by availing the benefit of notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 02/2019– Central Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.189 (E), dated the 7th March, 2019” shall be inserted;
- e) in sub-rule (5), for the words, figures and letters “the details relating to the period prior to his opting for payment of tax under section 9 in **FORM GSTR- 4** till the due date of furnishing the return for the quarter ending September of the succeeding financial year or furnishing of annual return of the preceding financial year, whichever is earlier”, the words, letters and figures “a statement in **FORM GST CMP-08** for the period for which he has paid tax under the composition scheme till the 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal falls and furnish a return in **FORM GSTR-4** for the said period till the thirtieth day of April following the end of the financial year during which such withdrawal falls” shall be substituted;
- f) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- “(6) A registered person who ceases to avail the benefit of notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 02/2019–Central Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.189 (E) , dated the 7th March, 2019, shall, where required, furnish a statement in **FORM GST CMP-08** for the period for which he has paid tax by availing the benefit under the said notification till the 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of cessation takes place and furnish a return in **FORM GSTR - 4** for the said period till the thirtieth day of April following the end of the financial year during which such cessation happens.”.

4. In the said rules, after **FORM GST CMP-07**, the following form shall be inserted, namely:-

“Form GST CMP - 08*[See rule 62]***Statement for payment of self-assessed tax**

Financial Year				
Quarter				

1.	GSTIN												
2.	(a)	Legal name	<Auto>										
	(b)	Trade name	<Auto>										
	(c)	ARN	<Auto> (After filing)										
	(d)	Date of filing	<Auto> (After filing)										

3. Summary of self-assessed liability**(net of advances, credit and debit notes and any other adjustment due to amendments etc.)**

(Amount in ₹ in all tables)

Sr. No.	Description	Value	Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
1.	Outward supplies (including exempt supplies)					
2.	Inward supplies attracting reverse charge including import of services					
3.	Tax payable (1+2)					
4.	Interest payable, if any					
5.	Tax and interest paid					

4. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Place :

Name of Authorised Signatory

Date:

Designation/Status

Instructions:

1. The taxpayer paying tax under the provisions of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 or by availing the benefit of notification No. 02/2019–Central Tax (Rate), dated the 7th March, 2019 [G.S.R. 189(E) dated the 7th March, 2019] shall make payment of tax on quarterly basis by the due date.
2. Adjustment on account of advances, credit/debit notes or rectifications shall be reported against the liability.
3. Negative value may be reported as such if such value comes after adjustment.
4. If the total tax payable becomes negative, then the same shall be carried forward to the next tax period for utilising the same in that tax period.
5. Interest shall be leviable if payment is made after the due date.
6. ‘Nil’ Statement shall be filed if there is no tax liability due during the quarter.”.

5. In the said rules, in **FORM GST REG-01**, after instruction number 16, the following instruction shall be inserted, namely:-

“17. Taxpayers who want to pay tax by availing benefit of notification No. 2/2019–Central Tax (Rate) dated 07.03.2019, as amended, shall indicate such option at serial no. 5 and 6.1(iii) of this Form.”.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 16/2019-Central Tax, dated the 29th March, 2019, published vide number G.S.R 249 (E), dated the 29th March, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2019

सं. 21/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 322(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.189, तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त अधिसूचना” कहा गया है) के फायदे का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो विवरणी देने और कर का संदाय करने के लिए नीचे यथावर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप **जीएसटी सीएमपी-08 में** एक स्वनिर्धारित कर संदाय के ब्यौरे में अंतर्विष्ट करते हुए, यथास्थिति, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग का ऐसे तिमाही के उत्तरवर्ती मास की 18 तारीख तक एक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

3. उक्त व्यक्ति, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप **जीएसटीआर-4 में**, यथास्थिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए एक विवरणी, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से आगामी की 30 अप्रैल को या उसके पहले प्रस्तुत करेंगे।

4. उक्त अधिसूचना का उपभोग करके कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के बारे में, ऐसी अवधि के संबंध में जिसके लिए उन्होंने उक्त फायदे का उपभोग किया है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 37 और धारा 39 के उपबंध का अनुपालन किया है यदि वे उन्होंने उपरोक्त पैरा 2 और पैरा 3 में यथा उपबंधित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 और प्ररूप जीएसटीआर-4 दे दिया है।

[फा.सं. 20/06/16/2018-जी.एस.टी.]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2019

No. 21 /2019–Central Tax

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons paying tax under the provisions of section 10 of the said Act or by availing the benefit of notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 02/2019–Central Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 189, dated the 7th March, 2019, (hereinafter referred to as “the said notification”) as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing of return and payment of tax.

2. The said persons shall furnish a statement, every quarter or, as the case may be, part thereof containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 18th day of the month succeeding such quarter.

3. The said persons shall furnish a return for every financial year or, as the case may be, part thereof in **FORM GSTR-4** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, on or before the 30th day of April following the end of such financial year.

4. The registered persons paying tax by availing the benefit of the said notification, in respect of the period for which he has availed the said benefit, shall be deemed to have complied with the provisions of section 37 and section 39 of the said Act if they have furnished **FORM GST CMP-08** and **FORM GSTR-4** as provided in para 2 and para 3 above.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2019

सं. 22/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 323(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 21 जून, 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौदहवां) संशोधन नियम, 2018 का नियम 12 [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1251(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 74/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 31 दिसंबर, 2018] प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. 20/06/16/2018-जी.एस.टी.]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2019

No. 22/2019–Central Tax

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 21st day of June, 2019, as the date from which the provisions of the Central Goods and Services Tax (Fourteenth) Amendment Rules, 2018 rule 12 of [notification No. 74/2018–Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1251(E), dated the 31st December, 2018], shall come into force.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.